राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– प. 9(1) पद सृजन / गृह–10 / 2019 जयपुर, दिनांक 20/09/19

संशोधित आदेश

इस विभाग द्वारा जारी संमसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2019 के क्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत गठित विशेष न्यायालयों जिला बाडमेर, भीलवाडा, अलवर, भरतपुर, नागौर एवं पाली में कुल 6 अस्थाई पदों का सृजन अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के पद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 एल–15 के अन्तर्गत वित्त (व्यय–4) विभाग की आई. डी. संख्या 101903437 दिनांक 11.09.2019 के द्वारा सहमति प्राप्त कर एतद् द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त न्यायालयों में अभियोजन सेवा के अधिकारीयों के पदस्थापन्न / चार्ज के आदेश पृथ्क से जारी किये जायेगे।

अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एस.एन. व्यास)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. शासन सचिव, विधि एवं विधिक, कार्य विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बाडमेर, भीलवाडा, अलवर, भरतपुर, नागौर एवं पाली में विधि विभाग के अधिवक्ता संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर पदस्थापित विशेष लोक अभियोजक की सेवाएं समाप्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है की विधि विभाग द्वारा अधिवक्ता संवर्ग के उपरोक्तानुसार आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– IV) विभाग।
6. विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बाडमेर, भीलवाडा, अलवर, भरतपुर, नागौर एवं पाली।
7. समस्त उप / सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।
8. संस्थापन्न राजपत्रित, एसी.आर. शाखा।
9. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली।

20/09

विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी